राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 51/2014/पाली
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन,घट–प्रथम,पाली — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स तुलसीदास लक्ष्मणदास
सोजत रोड, पाली — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी विभाग की ओर से
श्री वी.सी.सोगानी
अभिभाषक — प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक 26.09.2016

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–प्रथम, पाली (जिसे आगे ''कर निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स), द्वितीय,वाणिज्यिक कर,जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 12/आरवैट/पाली/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2013 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 25 एवं 61 के अन्तर्गत शास्ति आदेश दिनांक 22.06.2011 पारित करते हुए कर रू. 16,000/– व शास्ति रू. 32,000/–आरोपित करते हुए कुल रू 48,000/–की मांग सृजित की गई है,जिसको अपास्त किया है,जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.06.2011 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी प्रत्यर्थी फर्म का सर्वेक्षण किये जाने पर कुल 6 एग्जीबिट के रूप में बहियात का अग्रिहण किया गया और दिनांक 22.06.2011 को अभिग्रहीत बहियात का अंकेक्षण करने पर रू. 3,20,000/–की उचन्ति बिक्री पायी गयी,जिसका लेखा पुस्तकों में जमा खर्च किया हुआ नहीं था। उक्त पायी गयी उचन्ति बिक्री का सत्यापन कराने हेतु नोटिस जारी किया गया,किन्तु नोटिस की पालना में उचन्ति बिक्री का सत्यापन नहीं कराये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने किराणा सामान रू. 3,20,000/– पर 5 प्रतिशत की दर से कर रू.16,000/–आरोपित किया तथा करापवंचन करने के कारण कर की दोगुनी शास्ति अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत रू. 32,000/–आरोपित करते हुए कुल रू. 48,000/–की मांग कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित कर आदेश दिनांक 22.06.2011 पारित किया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2013 पारित कर अपील स्वीकार की है,जिससे असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश अधिनियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विरूद्ध है। उनका कथन है कि वक्त सर्वेक्षण पाये गये दस्तावेजों से लेखा पुस्तकों का सत्यापन करने पर पाया गया कि उचिन्त बिक्री की गई है,जिससे कर निर्धारण अधिकारी ने कर एवं शास्ति का आरोपण किया है,जो पूर्णतः विधिक है।उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति का अपास्त किया है,जो किसी भी दृष्टि उचित नहीं है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी अत्यन्त छोटा व्यापारी है, जिसका पूरे वर्ष में कुल पण्यावर्त 20 लाख रू. से कम है। उनका कथन है कि उसके द्वारा समस्त विक्रय पर अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार 0.5 प्रतिशत की दर से कर अदा किया जाता है। उनका कथन है कि जिन बहियात की ऑडिट कर उचन्ति विक्रय माना गया है, वह ऑडिट पूर्ण रूप से मिथ्या है। उनका कथन है कि एग्जीबिल 2 एवं 2 जो कि फर्म की बिल बुक हैं उनके आगे रू. 48,481/– व रू. 1,29,664/– विक्रय अनएकान्टेड दर्शाया है जो भी पूरी तरह मिथ्या है क्योंकि व्यवहारी की एग्जीबिट 2 एवं 3 में स्वयं बिल बुक है,जिसको उचन्ति बताया जाना पूरी तरह से गलत है। उनका कथन है जो लिस्ट बनाई गई वह पूरी तरह से फर्जी लिस्ट है और उनके आधार पर उचिन्त विक्रय माना जाकर कर एवं शास्ति आरोपित करना अपनेआप में अविधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त किया गया है,जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया । रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अप्रार्थी फर्म का सर्वेक्षण करने पर व्यवसाई के कोई बयान अथवा अन्य रिपोर्ट नहीं बनाई गई बल्कि यह रिपोर्ट लिखी गई कि उसके द्वारा बहियात का व्यवसाय स्थल से बरामद

कर रिकार्ड सीज किया गया एवं जांच हेतु दिनांक 28.06.2011 को उपस्थि होन हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालन में फैसला उसी दिन करने का निवेदन किया गया। दिनांक 22.06.2011 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कम्प्यूटर पर ऑडिट रिपोर्ट बनाई गई,जिसमें एग्जीबिट–1 को रोकड बही बताया जिसमें पृष्ठ 1 से 366 सत्यापित किए परन्तु व सत्यापन किए तरह किया गया, यह नहीं बताया गया है। एग्जीबिट 2 का अंकेक्षण बताया गया है,जिसमें पेज संख्या 1 से 100कच्ची पर्ची के रूप में बताया गया है उसके माल का विवरण किराणा सामग्री लिखा है। इसी तरह एग्जीबिट 3 में भी कच्ची पर्ची के रूप में अंकेक्षण करना बताया जो पेज संख्या 1 से86 तक है। एग्जीबिट–4 में खाता बही पृष्ठ संख्या 1 स 7 बताई है व उसके आगे सत्यापन बताया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि इसमें सत्यापन किससे किया गया और यह कौन सी बिक्री है जिसका सत्यापन किया गया । एग्जीबिअ–5 जो अभिग्रहण मीमो मं नोट बुक बताई है वह पेज 1 से 28 है जो मेरे समक्ष पेश की गई है इसके पेज 1 से 13 तक की जो राशियॉ ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाई है वह पूरी तरह से मिथ्या है । एग्जीबिट 6 के दो पेपर्स जो खरीद का काटकर बिक्री बताई है वह भी मिलान नहीं खाते हैं। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में अंकित किया है कि इस तरह पत्रावली पर रखे गये समस्त पेपर एक मिथ्या तरीके से तैयार किया जाना पाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं रिकार्ड के अवलोकन यह भी ज्ञात होता है कि ऑडिट रिपोर्ट में समस्त माल किराण अंकित किया गया है,जिससे यह ज्ञात नहीं होता है कि किराणा सामान में कौन सा सामान है एवं वह किस कर दर का सामान है, जिससे यह जाहिर होता है कि बिना विचार किये ही पूरी राशि पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश मं अंकित किया है कि "सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट प्रथम,एन्टीईवेजन, पाली के आदेश दिनांक 22.06.2011 में यह अंकित किया हैकि श्रीमान् आयुक्त के परिपत्र दिनांक 31.03.2006 के अनुसार 'Prosecutor should not be a judge' के सिद्धान्त के अनुसरण में यह पत्रावली प्राप्त हुई है जबकि ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर नहीं पाया गया एवं न ही ऐसा कोई कमांक आदेश में अथवा दोनों ही अधिकारियों द्वारा लिखित आदेश पत्र में कोई हवाला दिया गया है। ऐसा लगता है कि इन दोनों अधिकारियां ने मिलकर मनमर्जी से अपीलार्थी के विरूद्ध बिना किसी विधिक शक्ति के आदेश पारित किया गया है जो अत्यन्त गम्भीर मामला है एवं एक जिम्मेदार अधिकारी से यह अपक्षा नहीं है कि वह स तरह अविधिक एवं अनियमित रूप से कोई आदेश पारित करें..."।

उपरोक्त निष्कर्ष से यह तथ्य उजागर होता है कि सहायक वाणज्यिक कर अधिकारी,घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, पाली द्वारा सर्वेक्षण कार्य दिनांक 21.06.2011 को किया गया है और उन्हों ने अपने पत्रांक 357 दिनांक 21.06.2011 के द्वारा वैट–46 प्रपत्र (सीजर मीमा) इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवही हेतु अतिरिक्त आयुक्त(एन्टीईवेजन)वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित की है, उसके पश्चात सहायक वाणज्यिक कर अधिकारी,घट द्वितीय,प्रतिकरापवंचन, पाली द्वारा उस पर दिनांक 22.06.2011 को निर्णय भी कर लिया गया एवं पुनः वह पत्रावली बिना आदेश के सहायक वाणज्यिक कर अधिकारी,घट द्वितीय,प्रतिकरापवंचन, पाली के पास कैसे पहुॅची ? रेकार्ड से यह ज्ञात नहीं होता है कि उसके पास यह पत्रावली उनके पास कैसे पहूॅची एवं किस अधिकार के तहत पहुॅची एवं दिनांक 28.06.2011 को अर्थात् सुनवाई के सात दिन बाद वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन, पाली को धारा 3(2) की स्कीम से बाहर करने को कैसे लिखा गया।

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2013 में इन्हीं तथ्यों का समावेश करने करते हुए उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत पत्रावली को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश नही होने से बिना किसी क्षेत्राधिकार के जो आदेश पारित किया गया है वह अविधिक (Abinitio void) है । अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2013 की पुष्टि करते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य